

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: F26(4)/IEC/T&C/ICDS/10/ 22084-103 जयपुर दिनांक : 25.3.10

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
टोंक जिला- मालुपरा, देवली, (टोंक ग्रा.), निवाई, अलीगढ़ एवं टोडारायसिंह
दौसा जिला- दौसा ग्रामीण, बांदीकुई एवं बांदीकुई द्वितीय,
अलवर जिला-यानागाजी, किशनगढ़बास, तिजारा एवं मण्डावर
सीकर जिला- फत्तेहपुर-ग्रामीण, लक्ष्मणगढ़, खण्डेला एवं दातारामगढ़
झुंझुनू जिला- खेतड़ी, सूरजगढ़, अलसीसर, नवलगढ़, एवं उदयपुरवाटी
झुंझुनू-शहर, दातारामगढ़, निवाई, टोडारायसिंह,
जयपुर जिला-झोटवाड़ा
बांसवाड़ा जिला- बागीदौरा

विषय:-आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन मद में राशि
आवंटन करने बाबत
प्रसंग:-बाल विकास परियोजना अधिकारियों के प्राप्त पत्र एवं दूरभाष के
क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आई0ई0सी0 मद से आप द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर
प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन मद में आपने बजट आवंटित करने की मांग की है।

अतः आपको राशि रु. 45,000/- प्रति परियोजना (प्रति केन्द्र 3000/- के हिसाब से
15 आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर
आलेख लिखवाये जाने हेतु उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करें। आलेख का प्रारूप पूर्व में ही
आपको प्रेषित किया जा चुका है।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर
जयपुर दिनांक :

क्रमांक: F26(4)/IEC/T&C/ICDS/10/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य लेखाधिकारी महोदय, मुख्यालय, जयपुर को बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रेषित
है।
2. उपनिदेशक (बाल विकास), समेकित बाल विकास सेवाएं, टोंक, दौसा, झुंझुनू, सीकर,
अलवर, बांसवाड़ा एवं जयपुर।



सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।